

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी-आव्हद निवृत्ति सोमनाथ (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या

दायर दिनांक

निर्णय दिनांक

488/2024

23.07.2024

16.08.2024

उनवान

1. बक्षु पिता पोखर रेबारी निवासी लापिया तह0 बनेडा जिला भीलवाडा
2. भंवर लाल पिता पोखर रेबारी निवासी लापिया तह0 बनेडा जिला भीलवाडा फोट
2/1 गाहीड पिता भंवर लला रेबारी निवासी लापिया तह0 बनेडा जिला भीलवाडा
2/2 सुखपाल पिता भंवर लाल रेबारी निवासी लापिया तह0 बनेडा जिला भीलवाडा
2/3 जुझार पिता भंवर लाल रेबारी निवासी लापिया तह0 बनेडा जिला भीलवाडा
2/4 पप्पु पिता भंवरलाल रेबारी निवासी लापिया तह0 बनेडा जिला भीलवाडा
3. मनरूप पिता पोखर रेबारी निवासी लापिया तह0 बनेडा जिला भीलवाडा फोट
3/1 बन्नालाल पिता मिश्री रेबारी निवासी लापिया तह0 बनेडा जिला भीलवाडा
4. मांगु पिता मिश्री रेबारी निवासी लापिया तह0 बनेडा जिला भीलवाडा फोट
4/1 रडमल पिता मांगु रेबारी रेबारी निवासी लापिया तह0 बनेडा जिला भीलवाडा
4/2 श्रीराम पिता मांगु रेबारी निवासी लापिया तह0 बनेडा जिला भीलवाडा
4/3 धर्मा पिता मांगु रेबारी निवासी लापिया तह0 बनेडा जिला भीलवाडा
4/4 शम्भु पिता परमेश्वर रेबारी रेबारी निवासी लापिया तह0 बनेडा जिला भीलवाडा
4/5 अशोक पिता गणेश रेबारी रेबारी निवासी लापिया तह0 बनेडा जिला भीलवाडा
5. रणजीत पिता पोखर रेबारी निवासी लापिया तह0 बनेडा जिला भीलवाडा
6. शैतान पिता पोखर रेबारी निवासी लापिया तह0 बनेडा जिला भीलवाडा
7. हेजा पत्नी स्व0 पोखर रेबारी निवासी लापिया तह0 बनेडा जिला भीलवाडा

प्रार्थीगण

बनाम

1. रडमल पिता कल्ला रेबारी निवासी लापिया तह0 बनेडा जिला भीलवाडा
2. नन्दु पत्नी राजु बैरवा निवासी बनेडा तह0 बनेडा जिला भीलवाडा
3. सीमा पत्नी शिवराज नायक निवासी लापिया तह0 बनेडा जिला भीलवाडा
4. सीता पत्नी मदन नायक निवासी लापिया तह0 बनेडा जिला भीलवाडा
5. रामलाल पिता श्रवण दरोगा निवासी लापिया तह0 बनेडा जिला भीलवाडा
6. विजु सिंह पिता कन्हैया लाल रावणाराजपुत निवासी लापिया तह0 बनेडा जिला भीलवाडा
7. सुवा पिता गोपी रेबारी निवासी लापिया तह0 बनेडा जिला भीलवाडा
8. जमना लाल पिता कन्हैयालाल शर्मा निवासी लापिया तह0 बनेडा जिला भीलवाडा
9. राजस्थान राज्य सरकार जरिये तहसीलदार सवाईपुर जिला भीलवाडा
10. स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया शाखा सरदारनगर तह0 बनेडा जिला भीलवाडा

—विपक्षीगण

उपखण्ड अधिकारी
भीलवाडा

उपस्थित:-अधिवक्ता प्रार्थी श्री बक्षु रेबारी (स्वयं)
अप्रार्थी संख्या 01 से लगायत 08 उपस्थित नहीं

-: प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 राज0 भू-राजस्व अधिनियम :-


-: निर्णय :-

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी ने अप्रार्थीगण के विरुद्ध प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 राज0 भू राजस्व अधिनियम, 1956 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा लापिया प0ह0 बबराणा भू-अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र महुआखुर्द तहसील सवाईपुर जिला भीलवाडा की जमाबन्दी संवत 2075-2078 के खाता संख्या 207 की अभिलिखित आराजियात 733, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 768 कुल किता 13 कुल रकबा 2.9085 हैक्टेयर व खाता संख्या 206 की आराजी संख्या 1009, 1010, 1011, 314 कुल किता 04 कुल रकबा 0.9358 है0 भूमि प्रार्थी की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की है और अप्रार्थीगण जैर-बहस के पडौसी खातेदारान है। प्रार्थी एवं विपक्षीगण की आराजियात के बीच कोई स्थाई सीमा चिन्ह नही होने के कारण विवाद होता रहता है। अतः प्रार्थी खातेदारी आराजियात की मौके पर अभिलेख अनुसार नपती की जाकर मौके पर स्थाई सीमा चिन्ह स्थापित कराना चाहता है। प्रार्थी वर्णित भूमि के खातेदार काश्तकार है।

इस पर प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 01 से लगायत 08 उपस्थित नहीं। प्रार्थी अधिवक्ता उपस्थित। वकील प्रार्थी द्वारा प्रकरण का निस्तारण आज ही किये जाने की ईशतदुआ की गई। हाजिर वकील प्रार्थी द्वारा निवेदन किया गया कि मामला पत्थरगढी का है व प्रार्थी अपनी आराजियात की पत्थरगढी कराना चाहते है। हमने प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया। चिंतन मनन किया एवं पत्रावली को वास्ते आदेश नियत किया गया।

हमने पत्रावली में प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत राजस्व अभिलेख नकल जमाबन्दी का अवलोकन किया गया। प्रकरण के तथ्यों व बहस पर मनन किया। प्रार्थीगण आराजियात जैरबहस के खातेदार काश्तकार होकर इन्हे आराजियात जैर बहस की नपती करा सीमांकन (पत्थरगढी) कराने का अधिकार निहित है। उपर्युक्त विवेचन के क्रम में प्रार्थीगण प्रार्थना पत्र में अंकित भूमि के खातेदार होने से सीमांकन (पत्थरगढी) कराने के अधिकारी होने से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 राज0 भू राजस्व अधिनियम, 1956 स्वीकार किया जाता है।

तहसीलदार सवाईपुर को सीमांकन(पत्थरगढी) कराने का आदेश दिया जाता है कि मौजा लापिया प0ह0 बबराणा भू-अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र महुआखुर्द तहसील सवाईपुर जिला भीलवाडा की जमाबन्दी संवत 2075-2078 के खाता संख्या 207 की अभिलिखित आराजियात 733, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 768 कुल किता 13 कुल रकबा 2.9085 हैक्टेयर व खाता संख्या 206 की आराजी संख्या 1009, 1010, 1011, 314 कुल किता 04 कुल रकबा 0.9358 हैक्टेयर भूमि की पत्थरगढी कार्य संपादन से पूर्व फरिकेन मुकदमा को सूचित किया जावे। पत्थरगढी का आशय पक्षकारों की उपस्थिति में निशानात कायम करने भर से है। इस आदेश में किसी पक्ष की बेदखली व कब्जा देने की कार्यवाही नहीं की जाए तथा किसी न्यायालय का स्थगन न हो तो एवं मौके पर फसल खडी न हो तो बन्दोबस्ती नक्शे



उपखण्ड अधिकारी
भीलवाडा

अनुसार नपती की जाकर सीमा चिन्ह स्थापित कर सीमांकन(पत्थरगढी) हेतु तहसीलदार सवाईपुर को 1000-00 अक्षरे एक हजार रूपये शुल्क पर मौका कमिश्नर नियुक्त किया जाता है, कमिश्नरी शुल्क रिकार्ड विधिवत संधारित किया जाकर पालना रिपोर्ट मय पर्चा मौका आगामी 15 दिवस में आवश्यक रूप से पेश करे, तथा कमिश्नरी फीस प्रार्थीगण से मौके पर प्राप्त करे। तहसीलदार सवाईपुर को तहरीर जारी करे।

पत्रावली की निर्णित इन्द्राज की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही अभिलेखागार में भिजवाई जावे। निर्णय आज दिनांक 16.08.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।


(आव्हान निवृत्ति सोमनाथ)

उपखण्ड अधिकारी

उपखण्ड अधिकारी

भीलवाडा